अमित बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

39

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

त्रिभुवन दहिया से पहले, जे.

एएमआईटी-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9205

09 जनवरी, 2024

भारत का संविधान, 1950-कला। 226, 227—हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016, नियम संख्या 5-निलंबन के आदेश की वैधता-याचिकाकर्ता को 27.07.2017 पर निलंबन के तहत रखा गया-न तो निलंबन की अवधि को निलंबन की तारीख से 901 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया गया और न ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए आरोप पत्र जारी किया गया-चुनौती दी गई-आयोजित, निलंबन आदेश अमान्य होने के कारण निलंबन की तारीख से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर रद्द कर दिया गया है-केवल इसलिए कि विभाग के अधिकारियों की छवि को खराब करने के लिए आरोप पत्र पर विचार किया गया था, निलंबन के आदेश की वैधता 90 दिनों की अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है-याचिका की अनुमति दी गई। आयोजित, नियम 5 सक्षम प्राधिकारी को एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने का अधिकार देता है जहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है या उसके खिलाफ लंबित है। नियम के प्रावधान में कहा गया है कि यदि निलंबन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो निलंबन वैध नहीं होगा। अर्थात्, जब तक नब्बे दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तब तक निलंबन का आदेश वैधता खो देगा। हालांकि, नियम के प्रावधान के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में, निलंबन की अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना एक सौ अस्सी दिनों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के विस्तार को लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के लिए और अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद होना चाहिए। नियम के नोट 1 में आगे कहा गया है कि जब तक विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है और संबंधित कर्मचारी को नब्बे दिनों की समाप्ति या विस्तारित अवधि से पहले इसके बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक निलंबन का आदेश अमान्य होने के कारण रद्द कर दिया जाएगा। तदनुसार, निलंबन आदेश की वैधता निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र जारी करने/अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर निर्भर है, क्योंकि एक कर्मचारी को केवल उसके विचार में या 40 के लंबित रहने के दौरान निलंबन के तहत रखा जा सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

एक ही। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अभाव में आदेश अमान्य हो जाता है क्योंकि यह सभी औचित्य खो देता है। एक अमान्य आदेश का कोई कानूनी बल नहीं होता है और इसका कोई परिणाम नहीं होता है। (पैरा 07) ने आगे कहा कि तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2017 के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की अवधि को निलंबन की तारीख से नब्बे दिनों से आगे नहीं बढ़ाया गया था, यानी 27.07.2017। केवल इसलिए कि उन्हें निलंबन के तहत रखा गया था और विभाग के अधिकारियों की छवि को खराब करने के लिए एक आरोप पत्र पर विचार किया गया था, जो अपने आप में 2016 के नियमों के नियम 5 के स्पष्ट प्रावधानों के आलोक में निलंबन के आदेश की वैधता को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, विवादित निलंबन आदेश अमान्य होने के कारण नोट 1 से नियम 5 (1) के संदर्भ में निलंबन की तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति पर रद्द कर दिया जाता है, और किसी भी कानूनी बल से वंचित होने के कारण, इसका याचिकाकर्ता की सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता। रवि प्रताप सिंह, डीएजी, हरियाणा।

(1) यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ दायर की गई है, जिसमें अनुलग्नक पी-2 पर समर्थित 27.07.2017 दिनांकित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट की मांग की गई है, जिसे याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 (इसके बाद '2016 नियम' के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में अमान्य होने के कारण निलंबन आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट मांगी गई है। (2) संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 2009 में विभाग में नहर रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यमुना जल सेवा सर्कल, जींद में सेवा करते हुए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के कहने पर उन्हें जल सेवा प्रभाग, सफीदोन, जींद में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें 2016 की सिविल रिट याचिका No.18216 अमित बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक से दायर की गई थी, जिसके बाद स्थानांतरण आदेश पर दिनांक 02.09.2016 के अंतरिम आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी। रिट याचिका को बाद में इस न्यायालय द्वारा 15.05.2019 पर अनुमति दी गई थी, और स्थानांतरण का आदेश AMIT बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था।

41

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

निरस्त कर दिया। उपरोक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को दिनांक 27.07.2017 के विवादित आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि निलंबन का आदेश दुर्भावनापूर्ण है, और स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए ही पारित किया गया है। निलंबन के तहत रखे जाने के बावजूद, नौ महीने से अधिक समय तक याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया और न ही निलंबन का आदेश वापस लिया गया। इसके अलावा, 2016 के नियमों के नियम 5 के संदर्भ में आदेश को नब्बे दिनों से आगे नहीं बढ़ाया गया था। हालांकि, प्रतिवादियों ने निलंबन के दौरान याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता देना जारी रखा। इन परिस्थितियों में, तत्काल याचिका दायर की गई थी। (3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि निलंबन का विवादित आदेश 2016 के नियमों के नियम 5 का उल्लंघन करने के कारण टिकाऊ नहीं है, क्योंकि निलंबन की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। इसलिए, यह अमान्य हो जाता है और अलग रखा जा सकता है। (4) इसके विपरीत, राज्य का विद्वान वकील याचिका में बताए गए तथ्यों पर विवाद नहीं करता है, और न ही वह इस बात पर विवाद करता है कि निलंबन के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था। हालाँकि, वह दृढ़ता से तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता को विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाने की आदत है। वह झूठी शिकायतें करके उनकी छवि खराब करना चाहते थे और इस वजह से उनकी सेवा को निलंबित कर दिया गया था।

(5) सुना है।

(6) निलंबन आदेश की वैधता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, निलंबन और परिलब्धियों को रोकने से संबंधित 2016 के नियमों के नियम 5 का उल्लेख करना उपयुक्त है, जो निम्नानुसार हैः

6. परिलब्धियों का निलंबन और रोक लगाना। —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी जिसके अधीन वह है या दंड देने वाला प्राधिकारी या राज्यपाल द्वारा उस ओर से सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है जहां -

(क) उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है या लंबित है, या (ख) उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में मामला जांच, जांच या 42 के तहत है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

मुकदमाः या

(ग) उपरोक्त प्राधिकारी की राय में, उसने राज्य की सुरक्षा के हित के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में खुद को शामिल किया है;

बशर्ते कि मामले में सक्षम प्राधिकारी, नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं करने के लिए विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है और अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए बिना नब्बे दिनों से अधिक लेकिन एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं निलंबन जारी रखने की अनुमति दे सकता है। ─ निलंबन का आदेश अमान्य होने के कारण रद्द कर दिया जाएगा, जब तक कि दंडक प्राधिकरण अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त नहीं करता है और निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी को नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति या नब्बे दिनों की विस्तारित अवधि से पहले निलंबन के विस्तार की विशिष्ट अवधि के बारे में सूचित नहीं करता है। नोट 2. ─ XXXXXX

XXXX

(2) से (8) XXXX XXX

(7) नियम 5 सक्षम प्राधिकारी को एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने का अधिकार देता है जहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है या उसके खिलाफ लंबित है। नियम के प्रावधान में कहा गया है कि यदि निलंबन की तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो निलंबन वैध नहीं होगा। अर्थात्, जब तक नब्बे दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तब तक निलंबन का आदेश वैधता खो देगा। हालांकि, नियम के प्रावधान के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में, निलंबन की अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एएमआईटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के बिना एक सौ अस्सी दिनों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

43

(त्रिभुवन दहिया, जे.)

(9) इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है, निलंबन का आदेश, दिनांक 27.07.2017, अलग कर दिया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उस पूरी अवधि को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए कर्तव्य अवधि के रूप में माने, जिसके दौरान याचिकाकर्ता निलंबन के तहत रहा। (10) लंबित विविध आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उन्हें निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है। रिपोर्टर-डॉ. सुमती जुंद